राजस्थान सरकार

Government of Rajasthan

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

Office of the D.G. & I.G. Jail, Jaipur (Raj.)

कमांकः–एफ / कारा / सैटअप / आह0वि0अधि0 / 2013–14 / 22282-457 दिनांकः 8-8-13

–: आदेश :–

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार अंकित पदाधिकारियों को उसके पदनाम के सम्मुख अंकितानुसार कारागृह के संबंध में वित्तीय शक्तियों का उपयोग करने के लिये कार्यालयाध्यक्ष घोषित करता हूँ।

समस्त पदाधिकारी वित्तीय शक्तियों का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में निहित प्रावधानों, राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों / निर्देशों एवं विभागीय दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत करेंगेः–

क्र. सं.	अधिकारी का पदनाम	कारागृह का नाम जिसके लिए कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया गया है
1-	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	उप कारागृह, कोटपुतली उप कारागृह, सांभर
2-	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	उप कारागृह, बिलाड़ा उप कारागृह, फलौदी
3-	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	उप कारागृह, बयाना उप कारागृह, डीग
4-	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	उप कारागृह, कानौड उप कारागृह, झाड़ोल उप कारागृह, कोटड़ा उप कारागृह, मावली उप कारागृह, सलूम्बर
5-	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	उप कारागृह, नौखा
6-	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर	उप कारागृह, श्रीकरणपुर उप कारागृह, रायसिंहनगर उप कारागृह, सूरतगढ उप कारागृह, अनुपगढ खुला बन्दी शिविर, जैतसर
7-	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, कोटा	उप कारागृह, रामगजंमण्डी उप कारागृह, सागौद
8-	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	उप कारागृह, ब्यावर
9-	अधीक्षक, जिला कारागृह, अलवर	उप कारागृह, बहरोड उप कारागृह, किशनगढवास
10-	अधीक्षक, जिला कारागृह, टोंक	उप कारागृह, मालपुरा
11-	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, झुन्झूनु	उप कारागृह, खेतड़ी
12-	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, सीकर	उप कारागृह,नीमकाथाना उप कारागृह, फतेहपुर
13-	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, दौसा	उप कारागृह, बांदीकुई
14-	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बाडमेर	उप कारागृह, बालौतरा
15-	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, जालौर	उप कारागृह, साचौर उप कारागृह, भीनमाल

16-	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, जैसलमेर	उप कारागृह, पोकरण
17-	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, पाली	उप कारागृह, बाली उप कारागृह, जैतारण उप कारागृह, सोजतसिटी किशोर बन्दी सुधारगृह जैतारण
18-	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, सिरोही	उप कारागृह, आबुरोड
19-	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, गंगापुरसिटी	उप कारागृह, सवाई माधोपुर
20-	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, करौली	उप कारागृह, हिण्डोन
21-	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बासवाड़ा	उप कारागृह, कुशलगढ
22-	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, डूंगरपुर	उप कारागृह, सागवाड़ा
23-	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, प्रतापगढ	उप कारागृह, छोटीसादड़ी
24-	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, राजसमन्द	उप कारागृह, भीम
25-	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, चितौड़गढ	उप कारागृह, बेगूं उप कारागृह, कपासन उप कारागृह, निम्बाहैड़ा
26-	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, हनुमानगढ	उप कारागृह, भादरा उप कारागृह, नोहर
27-	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, चुरू	उप कारागृह, राजगढ उप कारागृह, रतनगढ
28-	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बारां	उप कारागृह, छबड़ा उप कारागृह, अटरू
29-	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बूंदी	उप कारागृह, नैनवा
30-	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, झालावाड़	उप कारागृह, अकलेरा उप कारागृह, भवानीमण्डी
31-	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, भीलवाड़ा	उप कारागृह, गुलाबपुरा उप कारागृह, मांडलगढ उप कारागृह, शाहपुरा उप कारागृह, जहाजपुर उप कारागृह, गंगापुर
32-	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, नागौर	उप कारागृह, डीडवाना उप कारागृह, परबतसर उप कारागृह, मेड़तासिटी

समस्त पदाधिकारीगण संबंधित कारागृहों के संबध में विशेष रूप से निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगें:–

(1) कोषागार में प्रस्तुत करने के लिये समस्त सरकारी कर्मचारियों के वैयक्तिक दावों संबंधी समस्त बिलों एवं आकस्मिक व्ययों के बिलों पर आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में हस्ताक्षर करना,

(2) समस्त प्राप्तियों एवं इस प्रकार आहरित निधियों में से किये गये भुगतानों का लेखा रखना तथा वैद्य रसीद लेकर उचित प्राप्तकर्ता को भुगतान करना तथा भुगतान करने के प्रमाणस्वरूप उसे अनुप्रमाणित करना;

(3) रोकड़ पुस्तिका तथा समस्त लेखा पंजिका तथा अभिलेख, विशेषरूप से बिलों के भुनाने पर निगरानी रखने का रजिस्टर, बिल भेजने का रजिस्टर, अल्पकालीन अग्रिमों का रजिस्टर, आकस्मिक व्ययों का रजिस्टर, अग्रिम एवं समायोजनों का रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, दुर्विनियोग का रजिस्टर आदि, चैकों, ड्राफ्टों, पोस्टल मनी ऑर्डर्स आदि की प्राप्ति, निपटान को दर्शित करने वाला रजिस्टर, आदि एवं पोस्टल मनी ऑर्डर्स/ड्राफ्टस द्वारा किये गये भुगतानों का रजिस्टर रखना तथा संबंधित प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर करना;

(4) वित्तीय नियमों, आदेशों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की गयी वित्तीय शक्तियों के प्रत्योजनों के अनुसार आवर्तक एवं अनावर्तक आकस्मिक व्ययों को करना एवं आकस्मिक व्यय के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना;

(5) सरकारी कर्मचारियों को दिये गये अस्थाई अग्रिमों के समायोजन को सुनिश्चित करना तथा निर्धारित समय के भीतर खर्च न किये गये अतिशेष (बैलेन्स) की वसूली को सूनिश्चित करना तथा उन पर इन नियमों में यथा–उपबंधित कार्यवाही करना; एवं

(6) भण्डार की वस्तुओं को मितव्ययी रूप से प्राप्त करना तथा उनके उचित हिसाब एवं अभिरक्षा (कस्टडी) की व्यवस्था करना।

(7) उक्त कार्यों के संपादन हेतु संबंधित उप कारागृह को आवंटित बजट का उपयोग किया जावेगा एवं उपाधीक्षक के मुख्यालय पर स्थित कोषागार में बिल आहरित किये जा सकेंगे।

उक्त आदेश पूर्व में जारी समस्त आदेशों के अनुक्रमण में जारी किये जाते हैं एवं तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

Sd-

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. उप शासन सचिव गृह (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, अति0 महानिदेशक, कारागार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. विशेषाधिकारी, गृह (ग्रुप–2) (कारा)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
6. वित्तीय सलाहकार, कारागार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. उप महानिरीक्षक, कारागार रेंज, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर।
8. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी राजस्थान।
9. कार्यालयाध्यक्षं, मुख्यालय कारागार, जयपुर।
10. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
11. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह।
12. प्रभाराधिकारी, किशोरबन्दी सुधारगृह, जैतारण।
13. प्रभारी, खुला बन्दी शिविर, जैतसर।
14. उपाधीक्षक, महिला बन्दीसुधारगृह, जयपुर।
15. प्रभारी, समस्त अनुभाग, मुख्यालय कारागार, जयपुर।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर